राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
(समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम (आई.डी.एस.पी.)

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्रमांकः आई.डी.एस.पी./2020/1555 दिनांकः 21/5/2020

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषय :– प्रवासी नागरिको के सेम्पल कलेक्ट करने के दिशा निर्देश बाबत्।

संदर्भ :– भारत सरकार के पत्रांक क्रमांक 2.28015/19/2020-ENR दिनांक 12.05.2020 **के क्रम में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभिन्न राज्यो से प्रवासी राजस्थान में अपने घरो को आ रहे है। ऐसे सभी प्रवासी होम क्वारेन्टाइन और फेसिलिटि क्वारेन्टाइन में रह रहे है। इन प्रवासी व्यक्तियो की कोविड–19 सम्बन्धि सेम्पल लेने के लिये नीचे लिखे दिशा निर्देशो का पालन करे।

1. सभी लाक्षणिक (ILI) प्रवासियो के सेम्पल लिये जायेंगे।
2. हाई रिस्क ग्रुप के स्वस्थ व्यक्तियों के सैम्पल लिये जायेंगे।
3. गांव/वार्ड में आये सभी प्रवासियो का दस प्रतिशत व्यक्तियो का सेम्पल। (महाराष्ट्र, गुजरात, से आये व्यक्तियो को प्राथमिकता दिया जाये)

✓ सेम्पलिंग का तरीका–

- हाई रिस्क ग्रुप के स्वस्थ व्यक्ति – इस उम्र के सभी व्यक्तियो के अलग–अलग सेम्पल लिये जायेगे। और उन सभी सेम्पल को एक जिपलॉक बैग में रखा जायेगा।
- गांव/वार्ड में आये सभी **प्रवासियो** का दस प्रतिशत व्यक्तियो का सेम्पल – गांव अथवा वार्ड में आये सभी प्रवासियो की सूची बनायी जाये, इस सूची के आधार पर दस प्रतिशत व्यक्तियो का चयन किया जाये, तथा उनमे से भी महाराष्ट्र एवं गुजरात से आये प्रवासियो को प्राथमिकता दी जाये। इन सभी व्यक्तियो के अलग–अलग सेम्पल लिये जायेगे।

✓ सैम्पल कलेक्ट करने व पैकिंग का तरीका – प्रवासी लोगो के सैम्पल सप्ताह में दो दिन बुधवार व शानिवार को लिये जायेंगें। यदि कोई प्रवासी लाक्षणिक हो तो उसका सैम्पल तुरन्त लेना सुनिश्चित करें।

✓ सैम्पल पैकिंग का तरीका – प्रत्येक व्यक्ति का सेम्पल लेने के लिये अलग swab stic और VTM का प्रयोग किया जायेगा एक ब्लॉक के सभी सैम्पल एक साथ पैक किये जायेंगे।

- एक ब्लॉक/वार्ड के सैम्पल एक कैरियर में लैब तक पहुंचाये जायेंगे। (एक कैरियर में 20 सैम्पल भिजवाये जा सकते हैं)

✓ लाइन लिस्ट बनाने का तरीका –

- दिये गये फॉरमेट (संलग्न) के अनुसार एक ब्लॉक/वार्ड की लाइन लिस्ट एक फोरमेट में ही बनायी जायेगी और एक प्रति लाईन में सैम्पल के साथ भिजवायी जायेगी।

उक्त गतिविधि से संबंधित अधिक जानकारी हेतु डॉ. रूचि, स्टेट माईक्रोबायोलॉजिस्ट (9785075176) एवं डॉ. राकेश विश्वकर्मा, सब रिजनल टीम लीडर, WHO राजस्थान (9997092999) से सम्पर्क करें।

उपरोक्त दिशा निर्देशो के अनुसार परिणाम सहित लाईन लिस्ट दी गई ईमेल आईडी पर भिजवायें।
rajasthan_idsp@yahoo.co.in एवं aajaipur03@gmail.com

संलग्नः– 1. उपरोक्तानुसार (फॉरमेट),
2. एस.ओ.पी.

अति. निदेशक (ग्रा. स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान/जयपुर

E:\IDSP\Word Files\Letter 16-17 IDSP.docx

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
(समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम (आई.डी.एस.पी.)

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्रमांकः आई.डी.एस.पी./2020/1555 दिनांकः 21/5/2020

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकि. स्वा. एवं प.क. विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक एनएचएम एवं विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, आरएमएससीएल, जयपुर।
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य), राजस्थान।
5. स्टेट नोडल ऑफिसर, आईडीएसपी, राजस्थान।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन राजस्थान।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
8. डॉ. रूचि, स्टेट माईक्रोबायोलॉजिस्ट आईडीएसपी, राजस्थान।
9. डॉ. राकेश विश्वकर्मा, सब रिजनल टीम लीडर, WHO राजस्थान।
10. कार्यालय प्रति।

अति. निदेशक (ग्रा. स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर

E:\IDSP\Word Files\Letter 16-17 IDSP.docx

Line List for Migrant Sample Collection- District-

Block / Ward -

Sr. No	Name	Father`s / Husband Name	Age	Sex	Complete Address	Contact number	Ward/Block	District	Rural/Urban	Symptomatic Yes /No	Highrisk Group	Date of Onset	Travelled from (Mention State)	Date of Arrival	Date of Sample collection	Quarantine		Result
																Facility	Home	
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		

SOP for sample collection for migrants

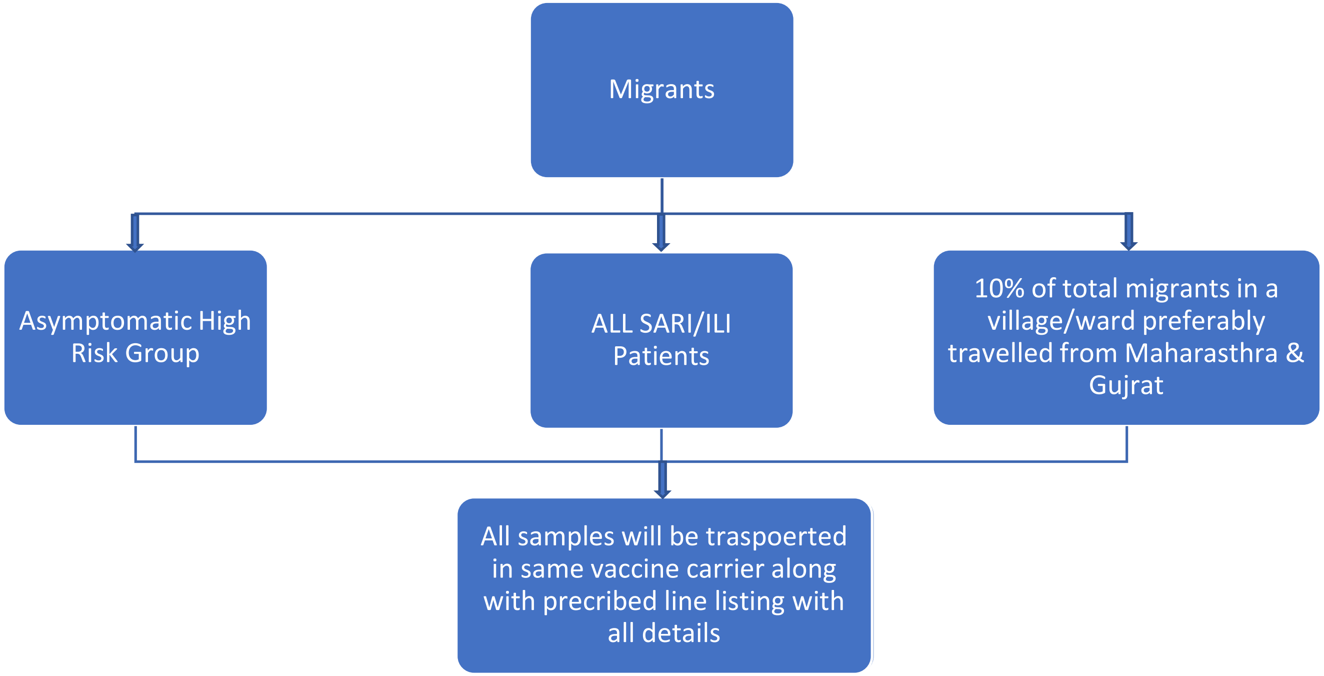

***Ensure to collect sample in separate VTM for each individual.**

***One carrier may contain 20 samples which can be form different blocks.**